पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2011 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार संख्या 16866

में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 51

==========

1. बिहार राज्य।
2. मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिशेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
3. मुख्य अभियंता, यांत्रिक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिशेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
4. अधीक्षण अभियंता, पी.एच.ई. सर्किल, पटना राजवंशी नगर, पटना।
5. कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई. प्रमंडल पटना पूर्व, पटना।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. मो. अहमद, पिता-मो.हफीज मेहतर, निवासी, ग्राम-मसूद बिगहा, डाकघर, थाना-बाढ़, जिला-पटना।
2. रणधीर कुमार सिंह, पिता-श्री भुनेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी, गाँव-मनकौरा, डाकघर-मुबारकनूर, थाना-बाढ़, जिला-पटना।

3. सत्येन्द्र सिंह उर्फ सत्येन्द्र कुमार, पिता-स्व.राजेन्द्र सिंह, निवासी, ग्राम-द्वारिका बिगहा, डाकघर-चोरा, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा।

4. रमेश प्रसाद, पिता-श्री बासुदेव प्रसाद, निवासी, ग्राम-चंदौरा, डाकघर, थाना-काको, जिला-जहानाबाद।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री मोहम्मद कामिल अख्तर, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए: श्री एस.रज़ा अहमद, एएजी-5

श्री विशंभर प्रसाद, एएजी-5 के एसी

==========

उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट अपील---राज्य की ओर से एल.पी.ए. दाखिल करने में विलम्ब---राज्य सरकार की ओर से दाखिल की जाने वाली अधिकांश एल.पी.ए. महीनों और वर्षों की देरी से दाखिल की जाती हैं---राज्य एल.पी.ए. को शीघ्र दाखिल करने के लिए, राज्य को विभागीय आधार पर या विधि विभाग या अन्य संबंधित विभाग के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली में एक समिति का गठन करना चाहिए, न कि फाइलों को एक भवन से दूसरे भवन में भेजना चाहिए---राज्य एक शक्तिशाली वादी होने के नाते, उन्हें एल.पी.ए. को निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए---प्रत्येक स्तर पर, अपीलकर्ताओं की ओर से चूक हुई है-राज्य ने वर्तमान मामले में तत्परता से मुकदमा नहीं चलाया---एल.पी.ए. खारिज---आदेश की सूचना बिहार सरकार के मुख्य सचिव को दी गई। ***(पैरा- 4, 5, 7)***

*(2012) 3 एससीसी 563, (विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 9217/2020 .....**पर भरोसा किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी.भ्जंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे
मौखिक निर्णय
(प्रति: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.बी.भजंत्री)

दिनांक: 25-07-2024

संदर्भ: 2024 का आई.ए. संख्या 02

यह सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16866/2011 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 16.09.2019 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य एल.पी.ए. है।

2. लगभग 01 वर्ष, 01 माह और 19 दिन की देरी हुई है। इस भारी देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाए गए हैं। कंडिका संख्या 02 से 13 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, इसमें निम्नलिखित लिखा है:

> *2. यह कि सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16866/2011 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.11.2019 को विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जो कि खण्ड 20.11.2019 को प्राप्त हुआ है।*
>
> *3. कि उपरोक्त धारा के आलोक में दिनांक 21.11.2019 को प्रस्तुत मामला दायर किया गया।*

4. वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी ने 28.11.2019 को कुछ निर्देशों के साथ फाइल अनुभाग को वापस कर दी।

5. यह कि निर्देश पर उचित कार्रवाई करते हुए अनुभाग ने दिनांक 02.12.2019 को फाइल प्रस्तुत की है। वरीय प्रभारी अधिकारी ने मामले की समीक्षा करने के बाद दिनांक 03.12.2019 को फाइल को इंजीनियर-इन-चीफ सह विशेष सचिव, पीएचईडी के समक्ष रखा।

6. इंजीनियर-इन-चीफ सह विशेष सचिव, पीएचईडी ने एलपीए दाखिल करने के लिए बयान या तथ्य तैयार करने के लिए 04.12.2019 को विभागीय अधिवक्ता को फाइल का समर्थन किया। इसे विभागीय अधिवक्ता द्वारा 17.01.2020 को वापस कर दिया गया है।

7. यह कि एलपीए दाखिल करने के लिए तथ्य का विवरण 20.01.2020 को अनुभाग में प्राप्त हुआ है और अनुभाग ने 20.01.2020 को फ़ाइल के साथ तथ्य का विवरण प्रस्तुत किया है।

8. तथ्य विवरण के अनुमोदन के बाद 23.01.2020 को एलपीए दायर करने के लिए फाइल विधि विभाग, बिहार सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है।

9. यह कि फाइल 23.01.2020 को विधि विभाग में प्राप्त हो गई है और फाइल एलपीए दाखिल करने के लिए 24.01.2020 को विद्वान पीएएजी-2 के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

10. पत्र संख्या 2195 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा विद्वान पीएएजी-2 के कार्यालय ने शपथ पत्र देने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को

अधिकृत करने का निर्देश दिया और यह शपथ पत्र 04.03.2020 को अनुभाग में प्राप्त हुआ और उसी दिन इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया।

11. पत्र संख्या 507 दिनांक 13.03.2020 द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, पटना पूर्व को शपथ पत्र देने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

12. यह कि कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, पटना पूर्व ने दिनांक 18.03.2020 को एलपीए दाखिल करने हेतु शपथ पत्र दिया है।

13. कोविड-19 महामारी फैलने के कारण एलपीए 13.12.2020 को विलंब से दायर किया गया है।"

3. अपीलकर्ताओं को अक्टूबर, 2019 के महीने में कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ। उनके पास निर्धारित समय सीमा के भीतर एलपीए दायर करने के लिए पर्याप्त समय था।

4. हमने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अधिकांश एल.पी.ए. देखी हैं और वे महीनों और वर्षों की देरी से दाखिल की गई हैं। एल.पी.ए. दाखिल करने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए एल.पी.ए. दाखिल करने के मामले में उनके पास कुछ नीतिगत मामले होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य को एक समिति का गठन करना चाहिए और इसे विभागीय आधार पर या विधि विभाग या अन्य संबंधित विभाग के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली में गठित किया जाना चाहिए, न कि फाइल को एक इमारत से दूसरी इमारत में फेंका जाना चाहिए। दूसरी ओर, एल.पी.ए. से संबंधित प्रत्येक फाइल में हमेशा देरी होती है और इसका कारण केवल इतना ही बताया जाता है कि फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय और एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में जा रही थी। हमें एक भी एल.पी.ए. नहीं

मिली है, जिसमें एल.पी.ए. दाखिल करने में देरी न हुई हो। इसके अलावा, राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक शक्तिशाली वादी है, इसलिए उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर एल.पी.ए. दाखिल करने को सुव्यवस्थित करना चाहिए। हालांकि, राज्य के पास कुछ मामलों में योग्यता है। ऐसे मामलों को भी देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान हो सकता है और करदाताओं पर इसका बोझ पड़ेगा। इस टिप्पणी पर बिहार राज्य के मुख्य सचिव को ध्यान देना चाहिए।

5. वर्तमान मामले में लगभग 01 वर्ष, 01 माह और 19 दिन की देरी हुई है और पर्याप्त कारण के अभाव में इसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस न्यायालय को देरी के कारणों के बारे में नहीं बताया है। दूसरी ओर, दलीलों में कहा गया है कि फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (2012) 3 एससीसी 563*** के मामले में इस तरह के तर्कों की निंदा की है। पैराग्राफ संख्या 27 और 28 इस प्रकार है:-

> *"**27.** इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संबंधित व्यक्ति इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके मामले को उठाने के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित शामिल मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ या परिचित थे। वे यह दावा नहीं कर सकते कि जब विभाग के पास न्यायालय की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति थे, तो उनके पास अलग से समय-सीमा थी। उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह सवाल उठा रहे हैं कि देरी को केवल इसलिए यंत्रवत् क्यों माफ किया जाए, क्योंकि सरकार या सरकार की कोई शाखा हमारे समक्ष पक्ष है।*
>
> ***28.** यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जब कोई घोर लापरवाही*

या जानबूझकर की गई निष्क्रियता या सद्भावना की कमी नहीं थी, तो देरी के लिए क्षमा के मामले में पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग विभिन्न पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग और उपलब्ध होने के मद्देनजर कई नोट बनाने की अवैयक्तिक मशीनरी और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम भेरूलाल के मामले में दिनांक 15.10.2020 को निर्णय लिया गया ***(विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी संख्या 9217/2020***। पैराग्राफ संख्या 5 और 7 इस प्रकार है:

"5. एक बेतुका प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि अगर मामले में कुछ गुण है, तो देरी की अवधि को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर कोई मामला गुण के आधार पर अच्छा है, तो वह किसी भी मामले में सफल होगा। यह वास्तव में एक सीमा है जो अच्छे मामलों को भी रोक सकती है। बेशक, यह देरी को माफ करने के लिए उचित मामले में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है।

7. इसलिए हम एक संकेत भेजने के लिए बाध्य हैं और हम आज सभी मामलों में ऐसा करने का प्रस्ताव रखते हैं, जहाँ ऐसी अत्यधिक देरी हो रही है कि सरकार या राज्य के अधिकारियों को हमारे सामने आने पर न्यायिक समय की बर्बादी के लिए भुगतान करना होगा, जिसका अपना मूल्य है। ऐसी लागत जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल

की जा सकती है।

इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में राज्य और उसके प्राधिकारियों की ओर से विलंब से मुकदमा दायर करने के संबंध में टिप्पणियां की हैं।

6. तदनुसार, विलम्ब की माफी के लिए 2024 का आई.ए. संख्या 02 अस्वीकृत किया जाता है।

7. इस स्तर पर, हमने यह भी देखा है कि एल.पी.ए. 15.01.2021 को दायर किया गया था और वर्ष 2021 में देरी की माफी के लिए आई.ए. द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने बताया है कि देरी की माफी के लिए आई.ए. की अनुपस्थिति में, एल.पी.ए. पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और लगभग 01 वर्ष, 01 माह और 19 दिन की देरी की माफी की मांग करते हुए आई.ए. संख्या 02/2024 दायर करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए, प्रत्येक चरण में, अपीलकर्ता-राज्य की ओर से वर्तमान मामले में तत्परता से मुकदमा न चलाने में चूक हुई है। नतीजतन, एल.पी.ए. संख्या 51/2021 खारिज की जाती है।

8. लंबित आई.ए.एस., यदि कोई हो, खारिज किया जाता है।

9. इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पाण्डेय, न्यायमूर्ति)

मनीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।